FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

(1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मुकाम दीगोद

अब्दुल रहीम वगै० बनाम रेशमा खातून व अन्य

मुकदमा धारा 88, 89, 188 RTAct नं. 284 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/6/24	वाद पत्र, वादीगण वगै० की ओर से श्री शिव प्रताप शर्मा एड० द्वारा प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट सरिश्ता का अवलोकन किया गया। वाद पत्र दर्ज रजि० किया जाकर तलबी व Injunction की जर्ये रजि० एडी० के तलबी सम्मन से की जावे। मिसल वादी तलबी के दिनांक 30.7.24 को पेश हो।	
31/7/24	पत्रावली पेश है। वकील पक्षकारान उप०। वादी आदि० द्वारा वाद 'Not Press' में खारिज किए जाने की दरख्वास्त की गयी जिसे स्वीकार किया गया। अतः पत्रावली 023 R1 CPC में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नंबर से कम की जा कर दाखिल दफ्तर हो। फैसला आज दिनांक 31/7/24 को सरे इजलास सुनाया गया।	अब्दुल रहीम